नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक......182948

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 5635 दिनांक 02/08/2018

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 1230 पत्रावली संख्या 1–122060 दिनांक 1997-1998

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .... सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति, ग्राम मनऊ का इन्दारा, पोस्ट अरखा जिला रायबरेली।

.... 2931–1997–98 .... 19-03-1998 ....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ....दिनांक .... को दिनांक 19-03-2018

.... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 ....रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 02-08-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0/टी0/आफसेट)।

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
2. पता : ग्राम–मनऊ का इंदारा, पोस्ट–अरखा, जिला–रायबरेली
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
4. संस्था का उददेश्य :

1. ग्रामीण सेवा हेतु खादी ग्रामोद्योग सम्बंधी उद्योग की स्थापना करना एवं युवकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. ग्रामीण उद्योगिकी की उत्पादक्ता सम्बर्धन एवं उनके प्रोत्साहन के लिये क्षेत्रीय समिति स्तरीय, जनपद–स्तरीय, राज्य–स्तरीय दस्तकार प्रदर्शनी को सम्पन्न करना।
3. कार्य क्षेत्र जनता को ग्रामोद्योग व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, बाल–सदन, बाल मन्दिर, प्रौढ शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।
4. जनता के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निःशुल्क जॉच यन्त्रों की व्यवस्था करना।
5. अपने सदस्य संगठनों को भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं उनके विभिन्न विभागों व कार्पोरेट जगत की सर्वांगीण सूचना उपलब्ध कराना।
6. कार्यक्षेत्र की जनता से छुआ–छूत, जातिभेद, वर्गभेद, आदि विशमता को दूर कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना।
7. विकलांग लोगों की सेवा के लिये कार्य योजना तैयार करना।
8. पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उददेश्य से वृक्षारोपड धुएं रहित चूल्हे, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, पास–पड़ोस तथा गली सडको की सफाई पर जोर देना।
9. बढ़ती आबादी रोकने के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देना और उनके बारे में लोगो को सुचारू रूप से अवगत कराना।
10. सामाजिक सुधार कार्यक्रम करना तथा खाली समय के सदुपयोग के लिये सृजनालय व मनोरंजन कार्यक्रमों का संचालन करना। जैसे पुस्तकालय स्थापना खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि।
11. निर्बल एवं निर्धन के अन्तर्गत कढ़ाई एवं अन्य प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाने की व्यस्था करना।
12. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रतिभाशाली छात्रों की खोज के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
13. दलितो शोषितों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन तथा

सत्य प्रतिलिपि

सत्यमेव जयते

सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
मनऊ का इन्दारा, अरखा, रायबरेली

निराश्रित बालक–बालिकाओं, वृद्धों विधवाओं तथा महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास हेतु समाज, शासन व प्रशासन की सहायता से आवश्यक कार्यक्रम चलाना। तथा निःशुल्क वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम की स्थापना एवं संचालित करना।

14. दलितों, पिछड़ो अल्पसंख्यकों के लिये कक्षा 1 से 10 तक के बालक तथा बालिकाओं हेतु निःशुल्क छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की स्थापना निमार्ण एवं संचालन करना।

15. दलितों शोषितो तथा अल्पसंख्यकों बौद्ध समुदाय के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश तथा शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु शासन–प्रशासन में भागीदरी निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

16. कृषकों को भ्रमण दलो की कृषिविश्वविद्यालयों तथा उद्यानो में भ्रमण बगवानी जागरूकता गोष्ठियों, फलसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना बेसिक एजूकेशन की शाखाएं खोलना।

17. जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है और जो बच्चे बूटपालिश करने, समाचार पत्र फेरी बेचने/लगाने चीथड़े बीनने वाले बच्चो की चिकित्सीय देखभाल तथा उनकी शिक्षा एवं मनोरंजन आदि की व्यवस्था करना।

18. सामाजिक और पिछड़े हेए बच्चों के लिए शहरी गंदी बस्तियों/पार्को/नर्सरी बालवाड़ी भवनो, मनोरंजन केन्द्रो के माध्यम से खेल की गतिविधियां आयोजित करना।

19. क्षयरोग, कुष्ठरोग के रोगियों, कैंसर चिरकालीन (लंबी बीमारियों से ग्रस्त) मानसिक रूपसे कमजोर विकलांगों के बच्चों के लिये स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा ओर मनोरंजन सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करना।

20. बच्चों को स्कूटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मुद्रण दरियां बनाने, लुहारगीरी, बढ़ईगीरी, घड़ी साजी मोटर वाइडिंग आदि के प्रशिक्षण देना।

21. आर०सी०एच० कार्यक्रम संचालित करना।

22. वैकल्पिक ऊर्जा, नर्सिंग होम, हस्तकला प्रशिक्षण तथा जल प्रबन्धक के कार्यो को संचालन करना।

23. संस्था द्वारा रोजगार उत्पादक शोरूम, रेशम उत्पादन एवं प्रशिक्षण, कपार्ट द्वारा, नाबार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का संचालन करना।

24. संस्था द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम, वृक्षारोपड़, नदी की सफाई तथा हैण्डपम्पों की प्रशिक्षण देना।

सत्य प्रतिलिपि

राजकुमार

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति

--- 3 . .

Scanned with OKEN Scanner

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय बागवानी तथा उद्यान विभागों के कार्यक्रमों को निःशुल्क संचालित करना।

26. संस्था द्वारा प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक–बालिकाओं की शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना।

27. संस्था द्वारा कृषि के विकास हेतु फूलों की खेती, औद्यानिक फसलों तथा औषधीय पौधों की खेती हेतु कृषकों को प्रेरित कर उन्हें वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप टैंक, सीलिका, सींग खाद व अन्य जैविक खादों का प्रशिक्षण देना।

28. संस्था द्वारा महिलाओं के स्वालम्बन हेतु उन्हें कम्प्यूटर, सिलाई–कटाई, जरी क्राफ्ट पैच वर्क, दाई प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर, इम्ब्राइडरी, हाउस कीपिंग, खिलौनें बनाने, हस्तकला का प्रशिक्षण संचालित करना।

29. संस्था द्वारा वैकल्पिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, पैरा मेडिकल शिक्षा, त्वरित शिक्षा, बाल श्रामिक विद्यालयों का संचालन करना।

30. संस्था द्वारा मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, सुअर पालन, गौशाला की स्थापना व संचालन करना।

दिनांक : 18-07-05

कार्यालय उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज व चिट्स ... लखनऊ (उ०प्र०)
सत्यमेव जयते

हस्ताक्षर

1. [signature]
2. राजकुमार
3. [signature]
4. [signature]

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
[illegible] मण्डल, लखनऊ
02-08-05

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
[illegible] का इन्दारा, नरखा, रायबरेली

नियमावली

= = = = = =

01. संस्था का नाम:- सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति

02. संस्था का पता:- ग्राम मनऊ का इन्दारा, पो०- अरखा , जि० [illegible]

03. संस्था का कार्यक्षेत्र:- सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

04. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग:-

==============================

कोई भी व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों मे आस्था रखता हो [illegible] सदस्यता का पात्र होगा। अर्हता होगी कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ [illegible] सामाजिक समरसता का पक्षधर हो, दीवालिया न हो, तथा [illegible] मे उसकी अभिरूचि हो।

क- आजीवन सदस्य:-

==================

जो व्यक्ति संस्था को निः स्वार्थ भाव से एक मुश्त रू० 1000/- [illegible] या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा। वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जाएगा।

ख- सामान्य सदस्य:-

===============

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रू0 51/- वार्षिक देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जाएगा।

सदस्यता की समाप्ति:-

= === ============

1. मृत्यु होने पर
2. पागल या दीवालिया होने जानेपर
3. नैतिक आधार पर न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
4. लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर ।
6. संस्था के प्रति हानिकार कार्य करने पर ।
7. अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर ।
8. संस्था की सदस्यता वार्षिक शुल्क निर्धारित तिथि तक न जमा होने पर

.......2/

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
मनऊ का इन्दारा, अरखा, [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

Scanned with OKEN Scanner

06. संस्था के अंग:-

============

1. साधारण सभा:

2. प्रबन्धकारिणी समति

07 साधारण सभा:-

==========

गठन :-

= = =

संस्थां के आजीवन तथा सामान्य सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठक:-

====

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यो को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:-

=========

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष परिस्थितियो में सात दिन पूर्व सदस्यो को लिखित रूप में दी जाएगी।

गणपूर्ति:-

=======

साधारण सभा के 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

=================== =======

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगी जिसकी तिथि प्रबन्ध कारणी समिति के बहुमत से सुनिश्चित की जाएगी।

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
चिट फण्ड फर्म्स, तथा सोसाइटीज
लखनऊ
21.08.2002

.....3/

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
ग्राम का पुरवा, बरखा, रायबरेली

Scanned with OKEN Scanner

साधारण सभा के अधिकारी एवं कर्तव्य:-

============ ================

01. प्रति पाँच वर्ष प्रबन्ध कारिणी समिति का निर्वाचन करना।

02. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना।

03. संस्था की वार्षि रिपोर्ट पारित करना।

04. नियमो में संशोधन , परिवर्धन एवं परिवर्तन करना।

08. प्रबन्धकारिणी समिति:-

================

गठन:-

====

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यो को मिलाकर प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन होगा जिसमे संरक्षक -एक, अध्यक्ष - एक कार्याध्यक्ष- एक, उपाध्यक्ष-एक सचिव -एक, उपसचिव, -एक , कोषाध्यक्ष- एक , सदस्य- चार होगे। इस प्रकार कुल संख्या । । होगी । । आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या [illegible] या घटाई भी जा सकती है।

[illegible]:-

====

प्रबन्ध कारिणी समिति की सामान्य बैठक साल मे 4 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी सदस्यो को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:-

=========

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सात दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जाएगी ।

गणपूर्ति:-

===== =

प्रबन्धकारिणी समिति की कुल सदस्यो मे से 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

रिक्त स्थानो की पूर्ति:-

=================

~~प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रि-~~

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, तथा सोसाइटीज
[illegible] लखनऊ

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
[illegible] का इदारा, अरखा, रायबरेली

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई रिक्त स्थान होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

। -4।

03. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

==============================

1. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना ।
2. संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
3. दान, अनुदान चन्दा प्राप्त करना तथा प्राप्त धन बैंक मे जमा करना तथा संस्था के क्रियाकलाप में लाना ।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार, खादी ग्रामोद्योग आयोग, उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ~~के उद्देश्य पूर्ति~~ ऋण, अनुदान, चन्दा, प्राप्त करना तथा संस्था के उद्देश्य पूर्ति में लगाना ।
5. उद्देश्य पूर्ति के लिए अनुदान चन्दे, एवं सेवाशुल्क राशियाँ प्राप्त करना तथा प्राप्त राशियों की प्राप्ती देना ।
6. संस्था का उद्देश्य लाभार्जन करना नहीं बल्कि अलाभ, अहानि के सिद्धान्त के अनुसार क्रियाशील रहना है। आनुषांगिक- शुल्क, दान चन्दे, अनुदान आदि जो अर्जन करने की दृष्टि से लाभार्जन होगा वह सदस्यों एवं कर्मचारियों में कदापि वितरित नही होगा। वरन् सामाजिक सरंक्षण के कार्यों मे ही विनियोजित किया जायेगा।
7. समिति के कार्य सम्पादन हेतु भू, भवन, सम्पदा अधिग्रहीत क्रय करना वित्तीय विनिमय करना ।

कार्यकाल:-

=======

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा ।

सत्य प्रतिलिपि 5/

डिप्टी रजिस्ट्रार
चिट फण्ड फर्म्स, तथा सोसाइटीज
उ० प्र०, लखनऊ
29.08.2002

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-
================ ====================================

संरक्षक:-

=====

संस्था के विकास हेतु कार्य करना, सदस्यों एवं पदाधिकारियों को [illegible] सलाह एवं परामर्श देना तथा संस्था को संरक्षण प्रदान करना।

अध्यक्ष:-

=====

01. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
02. कार्याध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष आदि पदाधिकारियों के प्रवास बिलों की स्वीकृति देना।
03. कार्याध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, एवं अन्य पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करना। बैठकों के लिए तिथियों का अनुमोदन, परिवर्तन, व बैठकों को स्थगित करना।
05. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
06. [illegible]रित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
[illegible] समस्त बिल, [illegible]पर, [illegible], पत्र, माँगपत्र, चेक, तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना।
08. बैठकों की कार्यवाही पास करना व सुनाना।
उपाध्यक्ष [illegible]
(09) संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

कार्याध्यक्ष:-

========

अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना तथा संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।

सचिव:-

=====

01. समस्त अभिलेख [illegible] कार्यवाही पुस्तिकों, सदस्यता रजिस्टर तथा लेखा [illegible] की रख रखाव करना।

सत्य प्रतिलिपि 6

जिला रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
[illegible]
[illegible].2002

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
ग्राम [illegible], रायबरेली

16

02. समस्त सम्पत्तियो , परिसम्पत्तियो का रख रखाव करना ।

03. सदस्यो एवं मानव कर्मियो के मानदेय तथा अनय व्यय वाउचरो की स्वीकृति देना।

04. अध्यक्ष मण्डल के अलावासभी दूसरे पदाधिकारी सचिव के निर्देशनुसार कार्य करेंगे ।

05. अध्यक्ष एवं कार्याध्यक्ष के अनुमोदन से प्रबन्धकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठको का एजेन्डा जारी करना तथा बैठको की सूचना देना ।

06. बैठको की कार्यवाही को पढ़कर सुनाना ।

07. संस्था द्वारा समस्त प्रबन्धकीय व्यवहार करना ।

08. संस्था के विकास हेतु अन्य सभी कार्यों को करना ।

09. संस्था की सदस्यता रजिस्टर में सदस्यो का नाम अंकित करना ।

10. बैठको की कार्यवाही पढ़कर सुनाना तथा लिपिबद्ध करना ।

11. संस्था के अध्यक्ष के साथ कार्यों को करना ।

12. संस्था की चल- अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा उस पर नियन्त्रण रखना।

13. राजकीय सहायकता तथा अनुदान चन्दा करना प्राप्त करना ।

14. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा निष्कासन अध्यक्ष की सहमति से करना ।

15. अध्यक्ष व कार्याध्यक्ष के सहयोग से संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

(16) समस्त बिल बाउचर , ऋण, पत्र, माँगपत्र , चैक तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रो अध्यक्ष व कार्याध्यक्ष की सहमति से हस्ताक्षर करना ।

01. आय-व्यय का लेखा जोखा रखना ।

02. अनुदान , चन्दा, प्राप्त करना तथा प्रबन्धक बैक मे जमा करना तथा संस्था के विकास में लगाना ।

03. संस्था के विकास हेतु अन्य सभी कार्यों को करना ।

11. संस्था के नियमो एवं विनियमो मे संशोधन प्रक्रिया :-

=====================================

साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत से संस्था के नियमो एवं विनियमो में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन किया जाएगा ।

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र०, लखनऊ
24.08.2002

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
...

12. सँस्था का कोष:-

सँस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक या पोस्ट आफिस में सँस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जाएगा और अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाला जाएगा ।

13. सँस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

सँस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा ।

14. सँस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षा:-

सँस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षक प्रतिवर्ष सुयोग्य आडीटर । चार्टेड एकाउन्टेन्ट। द्वारा कराया जाएगा।

[illegible] के अभिलेख:-

1. कार्यवाही रजिस्टर 2. सदस्यता रजिस्टर
[illegible] स्टाक रजिस्टर 4. कैश बुक लेजर आदि ।

[illegible] के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जाएगी ।

। सत्य प्रतिलिपि ।

दिनांक:- 4.7.98

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
21.08.2002

सचिव
सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति
मनऊ का इन्दारा, अरखा, रायबरेली

सिद्वार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति, ग्राम मनऊ का इन्दारा, पोस्ट अरखा जिला रायबरेली की प्रबन्धकारिणी समिति की सूचीं वर्ष 2021-22

क. स	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री रामलखन पुत्र श्री मोहन लाल	ग्राम पूरेगनी पो0 प्रहलादपुर, रायबरेली	संरक्षक	नौकरी
2	श्री राजकुमार पुत्र श्री रामानन्द	ग्राम मनऊ का इंदारा पो0 अरखा जिला रायबरेली	अध्यक्ष	कृषि
3	श्री नन्दलाल पुत्र श्री शीतलादीन	ग्राम पूरेगन्नी पो0 प्रहलादपुर, रायबरेली	कार्याध्यक्ष	नौकरी
4	श्री श्रीनाथ प्रजापति पुत्र श्री हरीलाल	ग्राम-चंदेलनताल पो0 अरखा जिला रायबरेली	उपाध्यक्ष	कृषि
5	श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री शिवमंगल	ग्राम मनऊ का इंदारा पो0 अरखा जिला रायबरेली	सचिव	नौकरी
6	श्री आशीष कुमार मौर्य पुत्र डा0 रामेश्वर प्रसाद मौर्य	ग्राम मनऊ का इंदारा पो0 अरखा जिला रायबरेली	उप सचिव	व्यापार
7	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री रामहर्ष	ग्राम मनऊ का इंदारा पो0 अरखा जिला रायबरेली	कोषाध्यक्ष	कृषि
8	श्री पारसनाथ पुत्र श्री रामदेव	ग्राम मनऊ का इंदारा पो0 अरखा जिला रायबरेली	सदस्य	व्यापार
9	श्री रामशरण पुत्र श्री राम औतार	ग्राम व पो0 जनवामऊ जिला प्रतापगढ	सदस्य	समाजसेवा
10	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 बद्री	मोहल्ला मोहनीपुरवा जिला लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
11	श्रीमती रेखा पत्नी श्री श्याम प्रकाश	ग्राम सराय सुान पो0 मान्धाता जिला प्रतापगढ	सदस्य	समाजसेवा

श्रीनाथ प्रजापति

रेखा

राजकुमार

रामलखन

Santosh Kumar

Ashish Kumar